शीर्ष समयबद्ध

संख्या-19/2017/872/चालीस-2017-18(2)/17

प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ, दिनांक 28 नवम्बर, 2017

विषयः वर्ष 2017-18 के लिये "गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

"**गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार**" दिये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1340/चालीस-2001-15(10)/99, दिनांक 03 अगस्त, 2001 द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्वान्त, जो विभाग की वेबसाइट **http://nationalintegdep.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है, के अनुसार शासन के पत्र संख्या-555/चालीस-2017-18(2)/17, दिनांक 28 जुलाई, 2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त व समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश से आवेदन पत्र मांगे गये थे। तत्क्रम में प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त किसी भी महानुभाव को पुरस्कार हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने मण्डल/जनपद से उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28-7-2017 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के प्रस्ताव उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का तथ्यात्मक विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट आख्या एवं अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रत्येक दशा में **एक सप्ताह के अन्दर** उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

3- यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन महानुभावों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाये उनका परीक्षण जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा मापदण्डों के अनुसार करते हुये अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- जिन महानुभावों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की संयुक्त आख्या में व्यापक जॉच कर तथ्यात्मक विवरण में (अभिलेखीय साक्ष्यों सहित) यह भी प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला प्रचलित/लम्बित नहीं है और किसी भी अपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया गया है।

भवदीय,

सत्येन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।